न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 842 सन 2023
अनवान :–

1. मोहम्मद अली पुत्र अलादीन जाति कुम्हार मुसलमान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

व
ादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

असल
प्रतिवादी

2. मोहम्मद हनीफ पुत्र अलादीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढं
3. युनस पुत्र अलादीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
4. मुश्ताक पुत्र अलादीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. श्योकत अली पुत्र अलादीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. फातमा पुत्री अलादीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. रूबीना पुत्री अलादीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. नामदीन पुत्र कासम खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. साहबदीन पुत्र कासम खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 07/03/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 119/125 के खसरा न0 26 की 17.10 बीधा , खसरा न0 48 की 17.14 बीधा कुल 35.04 बीधा भूमि अलादीन , साहबदीन , नामदीन पिता कासम दीन जाति कुम्हार निवासी नोहर को आवंटन शुद्धा भूमि थी जो राजस्व रिकार्ड में बतौर गेरखातेदार दर्ज थी जिसके दस वर्ष तक कब्जा काश्त में रहने पर रोही मौजा चक सरदारपुरा के खसरा न0 26 की 17.10 बीधा में से 8. 05 बीधा व खसरा न0 48 की 17.14 बीधा भूमि कुल 25.19 बीधा भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे।

रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 119/125 की कुल 35.04 बीधा भूमि अलादीन , साहबदीन , नामदीन पुत्र कासम खां ने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवा लिया बाद खाता विभाजन अलादीन पुत्र कासम खां के हिस्से में खसरा न0 26/1 की 5.17 बीधा खसरा न0 48/1 की 5.17 बीधा भूमि साहबदीन पुत्र कासम खां के खसरा न0 26/2 की 5.17 बीधा व खसरा न0 48/2 की 5.17 बीधा एवं नामदीन पुत्र कासम खां के हिससे में खसरा न0 26/3 की 5.18 बीधा , 48/3 की 5.18 बीधा हिस्से में आई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

रोही मौजा चक सरदारपुरा के खसरा न0 26 की 17.10 बीधा में से 8.05 बीधा व खसरा न0 48 की 17.14 बीधा भूमि की आवंटन के 10 वर्ष पूर्ण होने पर खातेदारी अधिकार दिये गये थे जो लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है परन्तु खसरा न0 26 की 8.05 बीधा भूमि खातेदारी अधिकार दिये जाने के उपरान्त भी सहवन से राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज कर दी जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये रोही मौजा चकसरदारपुरा के खाता संख्या 219/218 के खसरा न0 26/3 की 1.4920हैक एवं खाता संख्या 227/228 के खसरा न0 26/2 की 1.4540हैक व खाता संख्या 216/215 के खसरा न0 26/1 की 1.4800हैक भूमि बतोर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 जरिये अविक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद का स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया गया साक्ष्य वादी में वादी ने शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही करने पर जिरह शुन्य रही शपथ पत्र शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरतें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 119/125 के खसरा न0 26 की 17.10 बीधा , खसरा न0 48 की 17.14 बीधा कुल 35.04 बीधा भूमि अलादीन , साहबदीन , नामदीन पिता कासम दीन जाति कुम्हार निवासी नोहर को आवंटन शुद्वा भूमि थी जो राजस्व रिकार्ड में बतौर गेरखातेदार दर्ज थी जिसके दस वर्ष तक कब्जा काश्त में रहने पर रोही मौजा चक सरदारपुरा के खसरा न0 26 की 17.10 बीधा में से 8.05 बीधा व खसरा न0 48 की 17.14 बीधा भूमि कुल 25.19 बीधा भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे।

रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 119/125 की कुल 35.04 बीधा भूमि अलादीन , साहबदीन , नामदीन पुत्र कासम खां ने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवा लिया बाद खाता विभाजन अलादीन पुत्र कासमखां के हिस्से में खसरा न0 26/1 की 5.17 बीधा खसरा न0 48/1 की 5.17 बीधा भूमि साहबदीन पुत्र कासम खां के खसरा न0 26/2 की 5.17 बीधा व खसरा न0 48/2 की 5.17 बीधा एवं नामदीन पुत्र कासम खां के हिससे में खसरा न0 26/3 की 5.18 बीधा , 483/3 की 5.18 बीधा हिस्से में आई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:44 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा चक सरदारपुरा के खसरा न0 26 की 17.10 बीधा में से 8.05 बीधा व खसरा न0 48 की 17.14 बीधा भूमि की आवंटन के 10 वर्ष पूर्ण होने पर खातेदारी अधिकार दिये गये थे जो लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है परन्तु खसरा न0 26 की 8.05 बीधा भूमि खातेदारी अधिकार दिये जाने के उपरान्त भी सहवन से राजस्व

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

रिकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज कर दी जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये रोही मौजा चकसरदारपुरा के खाता संख्या 219/218 के खसरा न0 26/3 की 1.4920हैक्ट एवं खाता संख्या 227/228 के खसरा न0 26/2 की 1.4540हैक्ट व खाता संख्या 216/215 के खसरा न0 26/1 की 1.4800हैक्ट भूमि बतोर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपनी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी अपने वाद को साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वय साबित करे एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा चक सरदारपुरा के खसरा न0 26/17.10 बीधा बारानी व खसरा न0 48 की 17.14 बीधा कुल 35.04 बीधा भूमि अलादीन , साहबदीन , नामदीन पि0 कासमखां के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज थी अलादीन , साहबदीन नामदीन पि0 कासमखां को भूमि आवंटन के दस वर्ष पूर्ण होने पर काश्तकारान को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे जो प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 42 से पूर्णत्या साबित है।

अलादीन साहबदीन नामदीन पि0 कासम खां ने अपने हक हिस्से की भूमि का आपसी सहमति से खाता विभाजन करवा लिया खाता विभाजन अनुसार रोही मोजा चक सरादारपुरा के खसरा न0 26/1 की 5.17 बीधा भूमि अलादीन पुत्र कासमखां को व खसरा न0 26/2 की 5.17 बीधा भूमि साहबदीन पुत्र कासम खां को व खसरा न0 26/3 की 5.18 बीधा भूमि नामदीन पुत्र कासम खां के हिस्से में आई जो प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 97 दिनांक 24.12.1978 से पूर्णत्या साबित है।

आवंटी अलदीन पुत्र कासम खां का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विरास्तन से दर्ज होने के कारण वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हे अलादीन के वारिसान के सम्बध में किसी भी पक्षकार को कोई उज्र ऐतराज नही है।

नामान्तकरण संख्या 42 दिनांक 25.08.1977 जिसके द्वारा अलादीन , साहबदीन , नामदीन पि0 कासम खां को आवंटनशुद्वा भूमि को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज करने का अंकन स्वीकृत किया गया था उसके अनुसार आगामी जमाबन्दीयों में उक्त काश्तकारों को बतौर खातेदार दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु आगामी जमाबन्दीया बनाते समय वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 को या उनके पूर्वजों के नाम खातेदारी का अंकन नही किया जाकर बदस्तुर गैरखातेदार दर्ज कर दिया जो गलत है।

नामान्तकरण संख्या 42 दिनांक 25.08.1977 द्वारा वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पूर्वजों को बतौर खातेदार दर्ज करने के आदेश होने के उपरान्त भी आगामी जमाबन्दीयों मे बतौर खातेदार दर्ज नही कर तहसीलदार द्वारा कनुनी भूल की गई है जबकि तहसीलदार का दायित्व था की नामान्तकरणों का अंकन अगामी जमाबन्दीयों मे हुआ है या नही का मिलान किया जाना चाहिये था जो नही किया गया जिससे काश्तकार को हानी हुई और आदिनांक तक गेरखातेदार दर्ज चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

पंटवारी हल्का के द्वारा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पूर्वजा को वाद भूमि आवंटन थी के सम्बध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिससे स्पष्ट है कि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पूर्वजों को नामान्तकरण संख्या 42 दिनांक 25.08.1977 के द्वारा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश होने के उपरान्त भी जमाबन्दीयों में गैर खातेदार दर्ज चला आ रहा है जो न्यायोचित नही है वादी नामान्तकरण संख्या 42 के अनुसार जमाबन्दी संशोधन करवाकर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है ।

उल्लेखनिये है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा की भूमिया वर्तमान में नगर पालिका की पेराफेरी में आती है किन्तु वादी को वाद भूमि के खातेदारी अधिकार नही दिये जा रहे है बल्की सहवन से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयों में खातेदारी का नामान्तकरण काफी वर्षो पूर्व स्वीकृत होने के उपरान्त भी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज कर रखा है को संशोधन किया जा रहा है अर्थात जमाबन्दीयों तैयार करते समय हुई त्रुटी को संशोधन किया जा रहा है जो खातेदारी अधिकार दिये जाने की श्रेणी में नही आता हे यह तो तहसीलदार का दायित्व था ततसयम नामान्तकरण संख्या 42 स्वीकृत होने पर आगामी जमाबन्दी तेयार करते समय उक्त स्वीकृत नामान्तकरण का अंकन सही प्रकार से हुआ है या नही को देखा जाना चाहिये था राजस्व विभाग की गलती का खामियाजा काश्तकार को दिया जाना उचित नही है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत नाामन्तकरण की प्रतियो एवं तत्पश्चात जमाबन्दीयों से पूर्णत्या साबित है कि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि के नामान्तकरण संख्या 42 द्वारा खातेदारी अधिकार दिये जाने के उपरान्त भी बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकन नही किया गया है जिसे वादी दर्ज करवा कर जमाबन्दी संशोधन करवा पाने का अधिकारी है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि_रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 219/218 के खसरा न0 26/3 की 1.4920हैक , खाता संख्या 227/228 के खसरा न0 26/2 की 1.4540हैक व खाता संख्या 216/215 के खसरा न0 26/1 की 1.4800हैक भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे काश्तकारों को अंकन यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/03/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मोहम्मद अली पुत्र अलादीन जाति कुम्हार मुसलमान तहसील नोहर ज़िला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

2. मोहम्मद हनीफ पुत्र अलादीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढं
3. युनस पुत्र अलादीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
4. मुश्ताक पुत्र अलादीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. श्योकत अली पुत्र अलादीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
6. फातमा पुत्री अलादीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. रूबीना पुत्री अलादीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. नामदीन पुत्र कासम खां ज़ाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. साहबदीन पुत्र कासम खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 842 सन 2023 निर्णय दिनांक– 07/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि_रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 219/218 के खसरा न0 26/3 की 1.4920हैक , खाता संख्या 227/228 के खसरा न0 26/2 की 1.4540हैक व खाता संख्या 216/215 के खसरा न0 26/1 की 1.4800हैक भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे काश्तकारों का अंकन यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशाधन की जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/03/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:44 IST
Reason: SelfAttested